न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वादपत्र संख्या : 03/2014

वादीगणः–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. भेराराम पुत्र जेठाराम		1. सोहनलाल पुत्र लच्छाराम
2. माणक पुत्र रावतराम		2. ओमप्रकाश पुत्र लच्छाराम
3. श्याम पुत्र हुक्माराम		3. पप्पु पुत्र लच्छाराम
4. रूकमा पत्नी रावतराम		4. गंगादेवी पत्नी लच्छाराम
5. रूकमा पत्नी रावतराम		जातियान–कुमावत निवासी–बिरोल
जाति–सभी कुमावत निवासी–ग्राम बिरोल तह–जैतारण जिला–पाली।		तहसील–जैतारण जिला–पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (ए) व (डी) सी.पी.सी.

तारीख रजू 02/01/2014

उपस्थितः– 1. श्री करनीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 17/12/2019**

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (ए) सीपीसी विरूद्ध वादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ने यह वाद सरहद मौजा बिरोल के खसरा संख्या 286 मीन रकबा 03 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी के लिये प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया है। विवादास्पद कृषि भूमि खसरा नंबर 286 मीन रकबा 03 बिस्वा वर्तमान में एक मात्र प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता का व 04 के पति लच्छाराम के नाम पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है जो रेकर्ड पर पेश किया है। वादीगण ने यह वाद वादी संख्या 01 के पिता जेठाराम व वादी संख्या 02 के पिता एवं 04 के पति तथा वादी संख्या 03 के दादा रावतराम व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 04 के पति लच्छाराम तीनों भाइ की सामलाती भूमि बताकर यह वाद पेश किया है। वादीगण विवादित कृषि भूमि के न तो सहखातेदार है तथा न ही उपखातेदार है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वह व्यक्ति ही राजस्व वाद दायर कर सकता है जिसके हक अधिकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कन्फर्म होते है। वादीगण उक्त विवादास्पद कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। यहां पर वादीगण के किसी तरह के कोई हक अधिकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कन्फर्म नहीं है। क्योंकि वादीगण न तो आराजी मुतदावीया के कोटीनेन्ट है तथा न ही सबटीनेन्ट है ऐसी स्थिति में जब वादीगण के कोई हक अधिकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कन्फर्म नहीं है तो वादीगण का वाद कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है। वादीगण को उक्त दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से वादीगण का वाद ऑर्डर 07 रूल्स 11 डी सीपीसी के तहत बार्ड बाई लॉ है। वादी का वाद

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खारिज किया जावे। वादीगण ने विवादास्पद कृषि भूमि को पक्षकारान की सामलाती कब्जे काश्त की बताया है वास्तब में उक्त खसरा नंबर की आराजी प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति लच्छाराम स्वयं अकेले को धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के मुकदमें में तहसीलदार ने नियमन कर दी है। जो प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति लच्छाराम स्वयं की स्वअर्जित है। किसी तरह की जोईन्ट हिन्दू फैमिली की आराजी नहीं है। ऐसी कृषि भूमि को एलोटमेन्ट या रेगुलाइज की जाती है वह किसी भी सूरत में कानूनन जोईन्ट हिन्दू फैमिली की प्रोपर्टी नहीं मानी जाती है। ऐसे फैसले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर से हो चुके है। इसलिए इस आधार से भी वादीगण का वाद कानूनन काबिल चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। वादीगण ने यह वाद 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया है धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वह व्यक्ति ही दावा कर सकता है जिसका नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो। इस प्रकरण में वादीगण या इनके पिता व पति का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कानूनन कोई कॉज ऑफ एक्शन वाद दायर करने हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इस आधार से भी वादीगण का वाद कानूनन मेन्टेनेल नहीं होने से खारिज किया जावे। वादीगण ने अपने दावा में केवल जुबानी कथन किये है कि उक्त आराजी जोईन्ट हिन्दू फैमिली की जोईन्ट प्रोपर्टी है इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने जमाबंदी संवत 2069 से 2072 पेश की है जिसमें उक्त आराजी केवल अकेले प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। ऐसे दस्तावेजी सबुत के खिलाफ वादीगण के जुबानी दावा के एलीगेशन अनुसार भी वादीगण को कोई राइट टू शू प्रतिवादीगण के खिलाफ प्राप्त नहीं होता है, न ही कोई कॉज ऑफ एक्शन वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ प्राप्त होता है इसलिए इस आधार से भी वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जावे।

जवाब अप्रार्थी/वादीगण ने जवाब प्रार्थना पेश किया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ए व डी सीपीसी में वर्णित उज्र व ऐतराज जवाबदा के जरिये उठाए जा सकते है तथा फिर तनकीयात कायम दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर ही तय किए जावेंगे, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ नहीं है बल्कि श्रीमान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा नामान्तकरण संख्या 513 के जरिये सरहद मौजा बिरोल में वर्णित जमीन खसरा नंबर 286 रकबा 03 बिस्वा का इन्द्राज किया है रदद घोषित करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष श्रीमान के न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाने योग्य है वादीगण ने घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है तथा दिनांक 08.03.70 को तहसीलदार जैतारण के समक्ष रावत, जेठा जी व लच्छा तीनों का शामलाती हक कब्जा मंजूर किया है तथा तीनों के नाम का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस प्रकार जो उम्र एतराज प्रार्थना पत्र के जरिये उठाए गए है उनका निस्तारण जवाबदावा तनकीयात व साक्ष्य के जरिये किया जावेगा जो निश्चित प्रकिया है। आदेश 07 नियम 11 ए व डी सीपीसी के प्रार्थना पत्र के उजर एतराज के अनुसार वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य नहीं है इस प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय वादीगण द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादपत्र के तथ्यों को ही देखा जायेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित उजरात व एतराज को इस प्रार्थना पत्र के जरिये निर्णित नहीं किया जायेगा। वादपत्र में ऐसे कोई तथ्य प्लीडिंग नहीं है जिससे की वाद बार्ड बाई लॉ हो।

हमने वाद-पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि वादपत्र के पैरा संख्या 01 एवं 02 से स्पष्ट है कि वादी का कथन है कि ग्राम बिरोल में खसरा नंबर 286 रकबा 03 बिस्वा भूमि पर जेठाराम, रावतराम और लच्छाराम तीनों भाईयों का कब्जा था। दिनांक 03.08.1970 को तीनों भाईयों ने तहसील, कार्यालय जैतारण के समक्ष धारा-91 एल.आर. एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र देकर यह निवेदन किया कि तीनों भाईयों का शामलाती कब्जा है, तथा पट्टा दिया जावे तो तीनों भाईयों के नाम दिया जावे, परन्तु तहसील कार्यालय से मात्र लच्छा पुत्र जोरा के नाम नामांतरण भर दिया, जिसकी नामांतरण संख्या 513 है। वादीगण उक्त नांमातरण को निरस्त घोषित करवाते हुए उक्त भूमि में प्रत्येक के वारिसान को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबर 286 की रकबा 03 बिस्वा भूमि के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित की गई है, चूंकि आबंटन एवं नियमन नियमों में ही ऐसे आबंटनों एवं नियमनों के विरुद्ध अपील किए जानें का प्रावधान होता है। सहायक कलक्टर को न तो तहसीलदार के नियमन आदेश के विरुद्ध अपील सुननें का क्षेत्राधिकार होता है, न वह ऐसे नियमन आदेश को निरस्त घोषित कर सकता है और न ही सहायक कलक्टर के समक्ष तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतरण के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार से परे होनें के कारण वाद विधि द्वारा बाधित है, वादीगण संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुतोष प्राप्त करने के लिए इस्तदुआ करनें के लिए स्वतंत्र है, अतः हम प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना विधि सम्मत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अंतर्गत आदेश- 07, नियम- 11 भली-भांति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वाद-पत्र, वादी क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार होनें के फलस्वरूप इस पर विचारण विधि द्वारा वर्जित होनें से नामंजूर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 17/12/2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.19 12:39:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: